

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-9) विभाग

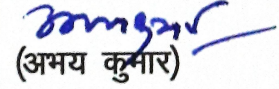
क्रमांक: प.33(2)गृह-9/2019

जयपुर, दिनांक : 25 FEB 2021

आदेश

विषय :- महाराष्ट्र/केरल से आने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता के सम्बन्ध में।

पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र एवं केरल राज्य में कोविड के संक्रमण की दर में वृद्धि हुई है। उक्त स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र एवं केरल राज्य से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन पर यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे पूर्व करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

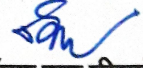

(अमय कुमार)

प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।

14. डिवीजनल रेलवे मैनेजर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।



(एन.एल.मीना)

शासन सचिव, गृह